कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

जिला शिक्षा अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

Email-deoraipurict@gmail.com, Phone No. - 0771-4270028

ज्ञाप क्रं./मान्यता कक्ष/शिकायत जांच/2023–24/13683 /रायपुर, दिनांक – 22/11/2023

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव
समिति – चाणक्य एकेडमी, म.नं.–27/94 जवाहर नगर, तहसील रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.) email id- sindhwanias@gmail.com

विषयः– विभागीय मान्यता प्राप्त किये बिना स्कूल संचालन के कारण आर्थिक दण्ड का अधिरोपण।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आज दिनांक–22.11.2023 को हिमांशु भारतीय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, श्री के.एस.पटले सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, श्री एम.मिंज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा, श्री प्रदीप शर्मा सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा, श्रीमती वंदना शुक्ला सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा एवं श्री रविकांत डोये मान्यता कक्ष प्रभारी कार्यालयीन, जिला–रायपुर के द्वारा अशासकीय विद्यालय **श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, रिंग रोड़–1 सरोना, टाटीबंध रायपुर** का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त स्कूल बिना विभागीय मान्यता प्राप्त कर कक्षा–नर्सरी एवं कक्षा–01 से कक्षा–08 वीं तक संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के एक कक्ष में पुस्तक–कापी के बंडल पाया गया तथा एक कक्ष बंद कमरे में गणवेश होने की जानकारी प्राचार्य एवं स्कूल के कर्मचारी द्वारा बताया गया । जो कि स्कूल के छात्र–छात्राओं को बेचा जाता है। स्कूल के मेन गेट पर श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का बोर्ड लगाया गया है। स्कूल द्वारा बच्चों को लाने–ले जाने हेतु वैन चलाई जाती है।

आपको अवगत कराया जाता है, कि बिना विभागीय मान्यता के स्कूल का संचालन करना **"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18 (5)" के अनुसार कोई व्यक्ति मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो 1 लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रखने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरा ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।**

शासन के नियम निर्देशानुसार बिना मान्यता के स्कूल संचालन करने पर जुर्माना 01 लाख रूपये आर्थिक दण्ड के रूप में अधिरोपित किया जा रहा है। शासन के राजस्व प्राप्तियां बजटशीर्ष स्कूल शिक्षा विभाग – 0202 – शिक्षा खेल–कूद कला तथा संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 600–सामान्य में तत्काल चालान के माध्यम से जमा कर इस कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के अंदर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। आर्थिक दण्ड की राशि 01 लाख रूपये जमा ना करने की स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्रतिदिन 10 हजार रूपये के दर से अतिरिक्त आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा। दिये गये निर्देश के पालन नहीं करने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कार्यवाही कर विभागीय मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया गया है किन्तु आवश्यक दस्तावेज सलंग्न नहीं किया गया है, आज दिनांक–22.11.2023 को निरीक्षण दल

द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिया गया है। जिसकी पूर्ति करावें, ताकि छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, आपके विद्यालय को दिनांक– 30 अप्रैल 2024 तक स्कूल का संचालन करने की अनुमति दी जा सकें।

निर्देशित किया जाता है कि छात्र/पालको को स्पष्ट जानकारी देने के लिए शाला भवन के मुख्य द्वार की दीवाल में 'बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय' का लेख काले पेंट से करें।

22/11/23

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रं./मान्यता कक्ष/शिकायत जांच/2023–24/13684 /रायपुर, दिनांक –22/11/2023

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धरसींवा जिला–रायपुर को सूचनार्थ।
6. प्रचार्य, अशासकीय विद्यालय श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सरोना टाटीबंध रायपुर को पालनार्थ, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)